

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

आदेश

1559
13.05.15

बिहार राज्य में हुए प्राकृतिक आपदा भूकम्प के मददेनजर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा किये गये घोषणा के आलोक में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-82 दि०-09.01.2015 द्वारा घोषित ग्रीष्मावकाश दि०-8.6.2015 से 28.06.2015(21 दिन) को पूर्वित(Prepond) करते हुए तत्काल प्रभाव से दि०-03.06.2015 तक के लिए ग्रीष्मावकाश घोषित किया जाता है।

2-उक्त अवधि में विद्यालय एवं छात्रावास पूर्णतः बंद रहेगा।

3-इस अवकाश की अवधि में छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली स्कूल ड्रेस एवं अन्य सामग्री का वितरण आवश्यकतानुसार तुरंत कैम्प(शिविर) लगा कर नियमानुसार वितरित किया जाय।

13/5/15
निदेशक।

ज्ञापांक-01/आ०वि०(विविध)-02-18/2009-1559 पटना, दिनांक-13.05.15
प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, विभागीय अनु० जाति एवं अनु० जनजाति आवासीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/5/15
निदेशक।

ज्ञापांक-01/आ०वि०(विविध)-02-18/2009-1559 पटना, दिनांक-13.05.15
प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/5/15
निदेशक।